न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 170 / 2018 / अपील

नेमीचन्द पुत्र लादुराम जाति बलाई निवासी पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.09.2018 मु.न. 204 / 2018 अनुवानी सरकार बनाम नेमीचन्द द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार जांगिड़

निर्णय दिनांकः–30.09.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पैतृक कब्जे हक अधिकार स्वामित्व का एक पट्टा शुदा भुखण्ड ग्राम पोसानी मे अवस्थित है। जिसकी सनद पट्टा संख्या 64 दिनांक 10.04.1985 को राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को निशुल्क आवासीय भूमि का आवंटन पत्र ग्राम पंचायत खींवासर आवंटन अधिकारी के रूप मे अपीलान्ट लघु कृषक थे व उनके पास आबादी क्षेत्र मे निवास हेतु कोई भूमि या मकान नही होने पर ख0नं0 22/1 पुराने मे से एक भूखण्ड आवंटित किया गया था जिसे पट्टा संख्या 64 की पुश्त पर लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड पर अपीलान्ट काबिज होकर उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग बहैसियत स्वामी के रूप मे करता चला आ रहा है। अपीलान्ट से राजनैतिक वैमनस्यता रखने वाले कुछ लोगो द्वारा पटवारी हल्का को झुठी शिकायत की गई, जिसके आधार पर पत्रावली संख्या 204/18 कायम कर अपीलान्ट को बेदखल करने की आज्ञा दिनांक 06.09.2018 को पारित कर दी गई। अपीलान्ट अनुसूचित जाति के लघु कृषक व्यक्ति है। जिनके पास ग्राम आबादी पोसानी मे आवास हेतु कोई भूखण्ड एवं मकान नही होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति श्रमिक एवं कारीगरो को निशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन की राज्य सरकार की योजना के तहत एक भूखण्ड निशुल्क आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन के तहत दिनांक 10.04.1988 को अपीलान्ट द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तथा उक्त भूखण्ड मे कच्चे छान–छपर, झुंपा बना कर सपरिवार आबाद हो गये। तथा उसी वर्ष पक्का बना लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि एंव चारागाह भूमि का विधिवत सीमाज्ञान किये बिना अपीलान्ट का मकान चारागाह भूमि में मान कर ग्राम पंचायत को चारागाह का पट्टा दिये जाने का क्षेत्राधिकार नही मानकर ख0न0 630 रकबा 0.01 है0 से बेदखल करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट को विवादित भूखण्ड का पट्टा संख्या 64 दिनांकित 10.04.1988 को दे दिया गया था। उस दिन भूमि पुराने ख0नं0 22/1 मे से कई पट्टे जारी हुये। ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

भूमिहीन पात्र व्यक्तियो को निवास हेतु भूखण्ड आवंटन राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के संदर्भ में किया था। आवंटित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पुख्ता मकान बना कर बिजली पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि को चारागाह भूमि मानता है तो उसे आबादी भूमि एवं चारागाह भूमि का विधिवत सीमांकन करवा कर विनिश्चय करना चाहिये था एवं अपीलान्ट तथा प्रभावित व्यक्तियो को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर देकर प्रकरण का निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय पट्टाधीन भूमि को ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार मे ना मानकर बेदखली का आदेश पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 06.09.2018 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 204/18 में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 06.09.2018 को पारित आदेश निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं उपस्थित आया एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम पोसानी के खसरा नम्बर 630 रकबा 15.40 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः चारागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 06.09.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official